

(11) 8-7-10

मानव संस्कृति विभाग

REGD. NO. D. I. 5300499



भारत का वाचन The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1379]

नई दिल्ली, ब्रह्मस्थिति, जुलाई 8, 2010/आषाढ़ 17, 1932

No. 1379]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2010/ASADHA 17, 1932

सँइक परिवहन और राजमार्ग भवान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2010

का.अ. 1632(अ).—लेफ्टरीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, कि धारा 8का द्वारा उक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए, (जिसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है), ने डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और सर्वानुसार (डीवीएफओटी) आधार पर राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के किलोमीटर 58-245 से किलोमीटर 177-050 तक ब्यावर-गोमती छांड (जिसमें इसके पश्चात् उक्त छांड कहा गया है) के निकास को लिए है। आईटीएनएल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जिसका पंचकृत कार्यालय दि. आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेटर, एल्ट सी-22, जी-लॉक, बोंदा कुरुला कर्मसुकर, चांदा (पूर्व), पुर्ब-400051, भारत (जिसमें इसके पश्चात् रियाप्रताग्राही कहा गया है) में स्थित है, के साथ एक कंपन किया है।

अब, इसलिए, कंन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग सीमा (दर का अनुधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के साथ उत्तर उक्त अधिनियम की धारा 8का द्वारा उक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के प्रयोग को लिए निम्नालिखित जालिका में विविरित योग्यक यात्रियों पर आधार दर से शुल्क लगाया जाएगा और संग्रहीत किया जाएगा तथा रियाप्रताग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन ली जारी की जाएगी से अथवा इस अधिगृहज्ञ के राजपत्र में प्रकाशित होने की तरीख से, जो भी बाद में हो, रानापन जारी कर, वास्तविक गृह्य के संदर्भ और प्रतिपादण के लिए ग्राहित करती है :

तालिका

प्रमाण नाम से प्राप्त

प्रति वाहन प्रति युक्त सरक याक दि. नियम

प्रमाण

प्रति वाहन प्रति युक्त सरक याक दि. नियम

(2)

०१. जी.ए. वी.प्र. अध्यया इन्हें भेजा गया	०.३१	०.३१
०२. नारी-वाहन, नाम, डांग वाहनाद्वय वाहन जी.प्र. दिया दिया	०.६३	०.६३
०३. वर्ग अध्यया दि.क.	१.३२	१.३२
०४. निपाया भर्ती-वाहन अध्यया भर्ती वाहन इन्हें इन्हें वर्ग वाहन में दिया दिया	२.०७	२.०७
०५. वाहन वाहन वाहन वाहन वाहन वाहन	२.५१	२.५१

टिप्पणियाँ :-

1. दूर अधिकारी के दंडनां के नियम।

- (i) "वास्तविक फीम" से अधिकारी निम्न आधार पर उक्त छंड के मुद्रक प्रयोक्ताओं से निपट जाने वाले वास्तविक शुल्क नहीं हैं।
 (ii) प्रत्येक शुल्क प्राजा को समनुदेशित की गई राजमार्ग परिवहन की लंबाई;
 (iii) दूर अधिकारी के नियम रूप से दर्शाई गई अधार फीस दर को निकटतम पांच रुपए में पृष्ठीकृत है — जाएँ;
 (iv) "वास्तविक प्रनाली की तरीख" का अधिकारी वह तारीख है जिसको उक्त छंड के संबंध में अधिकारी द्वारा ऐसा घोषित करने के बाद उक्त छंड न यांत्रिक रूप से लागत नहीं होंगा;
 (v) "प्राजा की तरीख" का अधिकारी वह तारीख है जिसको उक्त छंड के उपर्योग के अनुसार सभी पूरी रूप से व्यापक ढंग से पूरी करने के बाद उक्त छंड न यांत्रिक रूप से लागत नहीं होंगा;

2. दूर अधिकारी के नियम जो इस अधिकारी में शामिल हैं और परिभासित हैं जो उपरोक्त रूप से नापाल द्वारा दर्शाया गया है;

3. दूर अधिकारी के नियम जो इस अधिकारी में शामिल हैं और परिभासित हैं जो उपरोक्त रूप से नापाल द्वारा दर्शाया गया है;

4. दूर अधिकारी के नियम जो इस अधिकारी में शामिल हैं और परिभासित हैं जो उपरोक्त रूप से नापाल द्वारा दर्शाया गया है;

क्रम सं	दूर अधिकारी की स्थिति	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क का शुगताल किया जाता है
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्र-8 का किमी 84-85	50
2.	राष्ट्र-8 का किमी 136-137	66

[का. स. आर डब्ल्यूएनएच-37016/1/2009-एनएच०१-IVए]

एस.एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2010

S.O. 1632(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government (hereinafter referred to as the Authority) has entered into an agreement with M/s. ITNL Road Infrastructure Development Company Limited, having its registered office at The IL & FS Financial Centre, Plot C-22, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051, India (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development of the Beawar-Gomti section from km 58.245 to km 177.050 of the National Highway No. 8 in the State of Rajasthan (hereinafter referred to as the said section) on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the said Act, read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rate, on the mechanical vehicles, specified in the following Table, for the use of the said section and authorises the Concessionaire to collect and retain the actual fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date :—

TABLE

Sl. No.	Category of Vehicle	Base rate of fee per km per vehicle for one way trip (in Rupees)	
		(1)	(2)
1.	Car, jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.39	0.39
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	0.64	0.63
3.	Bus or Truck	1.52	1.32
4.	Trucks, Construction Vehicles, Cranes, Moving Equipment or Mobile Work Vehicles, Other Lorry & Cabs	2.06	2.07
5.	Over size Vehicles, even or more axles	2.52	2.52

Notes :

1. For the purposes of this notification,
- (i) "actual fee" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of
 - (a) length of the project highway assigned to each fee plaza;
 - (b) base fee rates provided in the above Table, duly multiplied, and shall be rounded off to nearest five rupees;
- (ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after satisfying all conditions precedent in accordance with the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section;
- (iii) "termination date" means the date on which the said agreement expires pursuant to the provisions of that agreement or is terminated by termination notice;
- (iv) words and expressions used in this notification and not defined, but defined in the aforesaid agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.

2. The fee shall be collected at the following location of toll plazas for the distance specified against each toll plaza :—

Sl. No.	Location of toll-plaza	Length (in kilometers) for which fee is payable
(1)	(2)	(3)
1.	km 84–85 of NH 8	50
2.	km 136–137 of NH 8	65

[E No. RW/NH-37016/1/2009-NHDP-IVA]

S. S. GUJIA, Dy. Secy.